

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीम.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प श्रीवर.....

134/25

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रत्यारी श्रीवर..... व प्र.अ.नि. श्रीवर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम/नायब तहसीलदार श्रीम की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम श्रीवर तहसील श्रीम व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2075 में खाता संख्या 964, 965, 966, 967 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
2	श्रीवर	964 965 966 967 1258 535	रोशन पुत्री मालसिंह	रोशनी देवी पुत्री मालसिंह

(श्रीवर)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, श्रीम
जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- 134/25

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्रीम को भेजकर लेख है-कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रोशनी देवी पुत्री मालसिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्रीवर)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
जिला-राजसमन्द